न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–28.06.2024

मिशल संख्याः– 355/2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. तहसीलदार देवली जिला टोंक (राज.)

– प्रार्थी–

बनाम

1. शिव माहेश्वरी पुत्र जानकी प्रसाद जाति माहेश्वरी निवासी 8/36 विद्याद्यर नगर जिला जयपुर
2. सौरभ माहेश्वरी पुत्र जानकी प्रसाद माहेश्वरी जाति महाजन निवासी 8/36 विद्याद्यर नगर जिला जयपुर

– अप्रार्थीगण –

उपस्थिति :–
तहसीलदार देवली

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 2

–: निर्णय :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी राज्य सरकार का प्रतिनिधि एवं लैण्ड होल्डर (भूमिधारक) होने से प्रार्थी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। वादी लैण्ड होल्डर होने से वादी द्वारा यहा वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 3860 व 3867 रकबा 1.17 व 1.05 कुल रकबा 2.22 है0 ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। जिसके अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है एंव अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर केवल कृषि उपज एवं कृषि कार्य के लिए अधिकृत है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी को कृषि प्ररियोजनार्थ के अलावा अन्य व्यवसायिक औधोगिक एवं अन्य कार्य प्रयोजनार्थ कार्य में लेने के लिए अधिकृत नहीं है। यह है कि अप्रार्थीगण ने उक्त राजस्व खातेदारी आराजियात को कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं कर व्यवसायिक कार्य लाभ के लिए उक्त आरजियात में 2.22 है0 पर पत्थर स्टॉक कार्य किया जा रहा है जिसमें अप्रार्थीगण उक्त आराजी का प्रयोग कृषि प्रयोजनार्थ नहीं करके व्यवसायिक

Scanned with OKEN Scanner

प्रयोग कर रहे है। जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजियत को कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग कर सकते है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजियत को कृषि कार्य की बजाय व्यवसायिक उपयोग लेने से राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 177 के तहत नियम व शर्तों के अनुबंध का उल्लघंन किया है। इस कारण अप्रार्थीगण के उक्त आराजियात में खातेदारी अधिकारों को समाप्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।यह कि भू0अ0नि0 देवली व पटवारी हल्का देवलीगांव से उक्त आराजियात की मौका–रिपोर्ट प्राप्त होने पर मौका रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण के उक्त आराजियत पर पत्थर स्टॉक कार्य किया जा रहा है यह वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यह है कि वाद वर्णित आराजियत ग्राम देवलीगांव पटवार मण्डल देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थी का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। यह है कि वाद राज्य सरकार का प्रतिनिधि व लैण्ड होल्डर होने से वादपत्र नियमानुसार बिना कोर्ट फीस के अन्दर मियाद पेश है। (अ) यह है कि वाद बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण का इस आशय की डिकी फरमाया जावें खसरा नम्बर 3860 व 3867 रकबा 1.17 व 1.05 कुल रकबा 2.22 जो कि वाके ग्राम देवलीगांव पटवार मण्डल देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है में से कुल रकबा 2.22 भूमि का खातेदारी का अधिकार समाप्त किया जावें एवं भूमि को सिवायचक घोषित कर राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक इन्द्राज किया जावें। (ब) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावें एवं अन्य दादरसी जो उचित हो अप्रार्थीगण से दिलवाया जावें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। जो इस प्रकार है – यह कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 1 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 2 के संबंध में प्रार्थी का यह कथन है कि प्रार्थी की कुल भूमि 2.22 हैक्टेयर है जिसके संबंध में मात्र 1 एकड औद्योगिक कार्य किया जा रहा है। जिसके संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा Raj Micro, small & Medium enterprises Act 2019 के तहत प्रार्थी ने Mineral Grinding के लिये स्वीकृत प्राप्त कर Micro enterprises की स्थापना की है। जिसमें सभी प्रकार के exemption उसे प्राप्त है। अतः Micro enterprises के रूप में कार्य करने के लिए अप्रार्थी सक्षम है। यह कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 3 अस्वीकार है। यह कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की स्थापना के लिये अध्यादेश 2019 जारी किया है। जिसके नियम 6 व 7 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अभीस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी होने के तीन वर्ष के भीतर कोई अन्य स्वीकृति प्राप्त करना कोई आवश्यक नही है, एवं लघु उद्योग के लिए अभी स्वीकृति प्रमाण पत्र सभी प्रायोजनों के लिये ऐसे प्रभावी होगा मानों वह इसकी जारी होने के तीन वर्ष की काला अवधी के लिये धारा–2 के खण्ड 'ख' में यथा परिभाषित अनुमोदन है। अध्यादेश संख्या 1, 4 मार्च 2019 की प्रतिलिपी संलग्न है। यह कि

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 4 व 5 अस्वीकार है। पत्थर का Stock मात्र 1 एकड में किया जा रहा है तथा अप्रार्थी ने कार्यालय नगर पालिका मण्डल, देवली में दिनांक 14/03/2023 को सम्पूर्ण रकबा 2.22 हैक्टेयर के औद्योगिक रूपान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है, जो कि विचाराधीन है। रूपान्तरण पश्चात् अप्रार्थी सम्पूर्ण भूमि पर औद्योगिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, चूकि भूमि नगर पालिका क्षेत्र में आती है। अतः धारा 177 का प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। रूपान्तरण की प्रार्थना पत्र की नकल संलग्न की जा रही है। यह कि दरखवास्त जल्दबाजी में बिना क्षेत्राधिकार के प्रस्तुत की गई है। राजस्थान सरकार ने द्वितीय संशोधन नियम 2016 जारी किया है जिसकी प्रति संलग्न है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुए प्रकरण दाखिल दफ्तर किया जावें।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थी क्लीन हैंड से न्यायालय में आया है। वर्तमान में भी वाद वर्णित आराजी पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है जबकि अकृषि कार्य हो रहा है। अतः वादी का वाद डिकी किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पेरोकार सरकार व अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संम्वत 2074–77 का खसरा नम्बर 3860 रकबा 1.17 है0 व खसरा नम्बर 3867 रकबा 1.05 है0 कुल किता–02 रकबा 2.22 है0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी–1 व जाव–2 दर्ज है। तहसीलदार देवली ने अपने प्रार्थना पत्र के चरण 3 में लिखा है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजी पर पत्थर का स्टॉक कार्य किया जा रहा है। जिसमें अप्रार्थीगण उक्त आराजी भूमि पर कृषि प्रयोजनार्थ कार्य नही करके व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ले रहा है। उक्त बिन्दु के संबंध में अधिंवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब व बहस में बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की स्थापना के लिये अध्यादेश 2019 जारी किया है। जिसके नियम 6 व 7 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अभीस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी होने के तीन वर्ष के भीतर कोई अन्य स्वीकृति प्राप्त करना कोई आवश्यक नही है, एवं लघु उद्योग के लिए अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र सभी प्रायोजनों के लिये ऐसे प्रभावी होगा मानों वह इसकी जारी होने के तीन वर्ष की कालावधी के लिये धारा–2 के खण्ड 'ख' में यथा परिभाषित अनुमोदन है। उक्त परिपत्र अधिवक्ता अप्रार्थीगण के द्वारा पत्रावली में जवाब के साथ संलग्न किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात् के अनुसार अप्रार्थीगण का एस एस मिनरल्स एवं केमिकल की अभिस्वीकृति दिनांक 22.12.2022 से 21.12.2025 तक है। अतः प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अध्यादेश 2019 से

Scanned with OKEN Scanner

यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की स्थापना के लिये अध्यादेश 2019 में नियम 6 व 7 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी होने के तीन वर्ष के भीतर कोई अन्य स्वीकृति प्राप्त करना कोई आवश्यक नही है, एवं लघु उद्योग के लिए अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र सभी प्रायोजनों के लिये ऐसे प्रभावी होगा।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख. नं. 3860 रकबा 1.17 है0 व ख. नं. 3867 रकबा 1.05 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.22 है0 में दिसम्बर 2022 सके दिसम्बर 2025 तक की अभिस्वीकृति मिनरल्स ग्रान्डिंग की होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन नहीं पाया जाने से तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/24

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner